आर.एफ.पी.

ऑडियो-वीडियो निर्माता एजेंसियों

और

प्रिंट, डिजिटल एवं आउट-डोर प्रचार हेतु क्रिएटिव एजेंसियों का

पैनल सूचीबद्ध करने के लिए ई-निविदा

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय
कृषि विस्तर सदन, पूसा
नई दिल्ली -110012

मि. सं. 1 (2)/2018-मा.मी./विस्तार

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय
मास मीडिया एकक

<u>ऑडियो-वीडियो निर्माता एजेंसियों और प्रिंट, डिजिटल एवं आउट-डोर प्रचार हेतु क्रिएटिव एजेंसियों का पैनल सूचीबद्ध करने के लिए ई-निविदा</u>

विषयः एजेंसियों को पैनल सूचिबद्ध करने के लिए आमंत्रित आवेदन सूचना श्रेणी (क)-ऑडियो-वीडियो निर्माता एजेंसियां और श्रेणी (ख)-प्रिंट मीडिया, डिजिटल और आउटडोर प्रचार हेतु क्रियेटिव निर्माता।

विस्तार निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (www.eprocure.gov.in) के माध्यम से ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन (बीओसी) (पूर्ववर्ती डीएवीपी) और एनएफडीसी (दोनों) से सूचिबद्ध अनुभवी एजेंसियों, (संबंधित क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों) से निर्धारित प्रोफार्मा (प्रस्ताव और आवेदन पत्र) पर तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसे कि दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, श्रेणी (क) और (ख) में पैनल सूचिबद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश/कार्य की शर्तें, आवेदन प्रोफार्मा और अन्य विवरण सी.पी..पी पोर्टल के अलावा www.agricoop.nic.in और www.krishivistar.gov.in पर देखा जा सकता है।

नियम और शर्तों को पूरा करने वाली एजेंसियां जो बीओसी और एनएफडीसी (दोनों) के साथ पैनल में हों (प्रोडक्शन हाउस और क्रिएटिव एजेंसियां), प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग से <u>दिनाँक 09.12.2019 अपराहन 2.30 बजे तक</u> ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (www.eprocure.gov.in) के माध्यम से अपने तकनीकी प्रस्ताव को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए इच्छुक एजेंसियों के पास डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

नोटः- इंग्लिश आर.एफ.पी. को किसी भी प्रकार के संदर्भ में अंतिम माना जाए।

(डॉ. सुधीर कुमार)
(संयुक्त निदेशक-मास मीडिया)
फोन: 011-25841385

विषय - सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	आवेदन आमंत्रित करने की सूचना	4
2.	पैनल सूचीबद्धता के सामान्य पहलू	5
3.	आवेदन कौन कर सकता है	5
4.	पात्रता मानदंड और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज	5-6
5.	चयन का तरीका	7
6.	जमा बयाना धन (ईएमडी) / कार्य निष्पादन तथा सुरक्षा (PERFORMANCE SECURITY)	8
7.	भुगतान की शर्तें	8
8.	जुर्माना खंड	8
9.	सामान्य निर्देश	9-11
10.	विवाद समाधान	11
11.	प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पत्र	13
12.	अनुबंध- I (एजेंसी को पैनल सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन प्रपत्र)	14
13.	अनुबंध-II (पिछले 03 वर्षों के दौरान ऑडियो/वीडियो/डॉक्यूमेंट्री/जिंगल्स/क्रिएटिव डिजाइन पर किए गये कार्यों की सारांश निम्नलिखित प्रारूप में संबंधित कार्य आदेशों के साथ संलग्न करें।	15
14.	अनुबंध- III (क और ख के लिए एजेंसी के मूल्यांकन के लिए मापदंड)	16
15.	अनुबंध- IV (क्रिएटिव डिजाइन के लिए एजेंसी के मूल्यांकन के लिए मापदंड)	17
16.	अनुलग्नक- V (ई भुगतान विवरण)	18
17.	अनुलग्नक- V I (बैंक गारंटी के लिए प्रारूप)	19

हस्ता./ -

(डॉ. सुधीर कुमार)
(संयुक्त निदेशक-मास मीडिया)
फोन: 011-2584 1385

ई-निविदा आमंत्रित सूचना

फ़ाइल नंबर 1 (2) / 2018-मा.मी./विस्तार विस्तार निदेशालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012	
नियोक्ता	विस्तार निदेशालय, मास मीडिया एकक, कक्ष सं. 101, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली -110012
वेबसाइट जिस पर आवेदन उपलब्ध है	http: //agricoop.nic.in www.krishivistar.gov.in www.eprocure.gov.in
ई-प्रकाशन की तिथि और समय	19.11.2019
आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि और समय	19.11.2019
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय	10.12.2019 (4.00 PM)
आवेदन खोलने की तिथि और समय	11.12.2019 (11.00 AM)
ई-निविदा आवेदनों के खोले जाने का स्थान	कक्ष सं. 101, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली -12

मि.सं. 1(2)/2018-मा.मी/विस्ता.
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय
मास मीडिया एकक

कृषि विस्तार सदन,
पूसा, नई दिल्ली -110012

पैनल सूचिबद्धता के सामान्य बिन्दु/पहलू

विस्तार निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अधिकतम 05 एजेंसियों प्रत्येक श्रेणी (क) और (ख) बीओसी (पूर्ववर्ती डीएवीपी) एवं एनएफडीसी (दोनों) से पैनल सूचीबद्ध एजेंसियों को बीओसी दरों पर निम्नलिखित श्रेणी में पैनल सूचीबद्ध किया जाना है।

श्रेणी (क) : ऑडियो-वीडियो निर्माता एजेंसियों को पैनल सूचीबद्ध – कार्यक्रमों, नीतियों और अन्य गतिविधियों के प्रचार और जागरूकता अभियान के लिए फिल्में बनाना, सफलता की कहानियों, धारावाहिकों, वृत्तचित्रों, ऑडियो और वीडियो स्पॉट, जिंगल्स आदि के लिए।

और

श्रेणी (ख) : प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एवं आउटडोर प्रचार हेतु क्रिएटिव डिजाईन के लिए एजेंसियों को पैनल सूचीबद्ध - प्रेस विज्ञापन, पोस्टर, बुकलेट, पैनल (प्रमुख स्थानों), बैक-ड्रॉप. होर्डिंग्स, लोगो आदि के लिए।

उपरोक्त पैनल जो निर्दिष्ट दिशानिर्देश और पत्र जारी होने के बाद 03 वर्षों के लिए मान्य होगा जो 02 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

1. <u>आवेदन कौन कर सकता है</u>: ऐसी बीओसी और एनएफडीसी (दोनों) के साथ पैनल सूचीबद्ध एजेंसियां और जिनके पास दिल्ली/एनसीआर में इन-हाउस उत्पादन सुविधाओं से सुसज्जित कार्यालय हैं और जो गुणवत्ता ऑडियो-वीडियो उत्पादन, कार्यक्रम/क्रिएटिव डिजाइन का उत्पादन करने के लिए सभी पात्रता और क्षमताओं को पूरा करती हैं प्रत्येक श्रेणी के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों/संलग्नकों सहित निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध-I और II) में आवेदन करना होगा। दिए गए कार्य के लिए दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दरें अधिसूचित बीओसी दरों और उनके नियमों और शर्तों के अनुसार समय-समय पर जारी की जाएंगी। यदि कोई एजेंसी दोनों श्रेणी क और ख के लिए आवेदन करती है, तो दोनों श्रेणियों के लिए प्रस्ताव और दस्तावेज अलग-अलग से प्रस्तुत करने होंगे।

2. सूचीबद्धता के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडः निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं और बोलीदाता द्वारा तैयार तकनीकी बोली दोनों श्रेणियों (क और ख) के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करेगा।

श्रेणी (क) : ऑडियो-वीडियो निर्माता एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए।

(क) बोलियों के लिए यह आमंत्रण दिल्ली और एनसीआर के सभी गुणवत्ता निर्माताओं के लिए खुला है जो इस संभावित कार्य के लिए बीओसी और एनएफडीसी (दोनों) के साथ पैनल में हैं। बोलीदाता को बोओसी और एनएफडीसी को निविदा प्रस्ताव की वैधता के भीतर अर्थात् प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 02 माह बाद तक पैनल सूची में (दोनों) होना चाहिए।

(ख) एजेंसी का पिछले 03 वित्तीय वर्ष अर्थात् 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान ऑडियो और वीडियो उत्पादन से 1.5 करोड़ रुपए संचयी कारोबार होना चाहिए।

(ग) एजेंसी के पास दिल्ली/एनसीआर में सभी आधुनिक उपकरणों और अवसंरचनाओं से सुसज्जित अपना स्टूडियो होना चाहिए।

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान न्यूनतम 30 ऑडियो और वीडियो स्पॉट/फिल्म/डॉक्यूमेंट्री/जिंगल्स का उत्पादन किया होना चाहिए।

श्रेणी (ख) : प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एवं आउट डोर प्रचार हेतु क्रिएटिव डिजाईन उत्पादन के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने हेतु।

(क) बोलियों के लिए यह आमंत्रण दिल्ली और एनसीआर के सभी गुणवत्ता निर्माताओं के लिए खुला है जो समान कार्य के लिए बीओसी और एनएसडीसी (दोनों) के साथ पैनल में हैं। बोलीदाता को भी बीओसी और एनएफडीसी को निविदा प्रस्ताव की वैधता के भीतर अर्थात् प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के 02 महीने बाद तक पैनल सूचीबद्ध होना चाहिए।

(ख) एजेंसी के पास पिछले 03 वित्तीय वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान प्रिंट/डिजिटल/आउटडोर प्रचार क्रिएटिव डिजाईन उत्पादन से 15 लाख रुपए का संचयी कारोबार होना चाहिए।

(ग) एजेंसी सभी आधुनिक उपकरणों और अवसंरचनाओं से दिल्ली/एनसीआर में सुसज्जित होनी चाहिए।

(घ) पिछले 03 वर्ष वित्तीय वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान प्रिंट मीडिया, डिजिटल और आउटडोर प्रचार के लिए न्यूनतम 30 स्वीकृत क्रिएटिव डिजाईन होने चाहिए।

3. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजः

3.1 पात्रता दस्तावेजः आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों की प्रतियां और दोनों श्रेणियों (क और ख) की पात्रता के लिए केवल सी.पी.पी. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

i. ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) और एनएफडीसी (दोनों) के साथ पैनल सूचीबद्ध होने का प्रमाण पत्र, जिसमें वैधता तिथि स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो।

ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18, 2018-19 का वार्षिक कारोबार, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट (मुहर सहित सीए की सदस्यता संख्या दर्शाई गई हो) द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

iii. दिल्ली एनसीआर में एजेंसी के पंजीकरण के संबंध में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणित पंजीकरण दस्तावेज।

iv. जी.एस.टी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।

v. पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान ऑडियो, वीडियो क्रिएटिव डिजाईन उत्पादन के लिए जारी कार्य आदेशों की प्रतियां और विवरण अनुलग्नक-II पर दिया जा सकता है।

vi. श्रेणी 'क' के लिए 25000/- और श्रेणी 'ख' के लिए 15000/- की ईएमडी (EMD) की प्रतिलिपि मूल रूप से मास मीडिया यूनिट को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.2 मूल्यांकन दस्तावेजः श्रेणी 'क' और 'ख' के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां संलग्न होनी चाहिएः

i. रचनात्मक टीम के प्रमुख की शैक्षिक योग्यता की प्रतियों के साथ बायोडाटा।

ii. अनुभव की गणना हेतु बिक्री/सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र/जीएसटी पंजीकरण।

iii. पात्रता मानदंड के अंतर्गत उल्लिखित वार्षिक कारोबार और कार्य आदेश।

iv. पुरस्कार प्रमाण पत्र।

3.3 अन्य दस्तावेजः

- पिछले 03 वित्तीय वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान प्रस्तुत आईटीआर की प्रतियां।
- निर्माता टीम के संचालक सदस्यों का बायोडाटा/रिज्यूम।

4. चयन की विधिः

4.1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय में विधिवत गठित समिति / एक स्पेशल समिति (सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से) और बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निश्चित तिथि और समय पर सभी तकनीकी ई-निविदा खोला जायेगा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदा खोलने की निश्चित तिथि को कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय का अवकाश घोषित होने की स्थिति में, बोलियां अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय और स्थान पर खोली जाएंगी।

4.2 दस्तावेज आधारित मूल्यांकन में आवेदकों के 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रस्तुतियां करवाई जाएंगी।

4.3 तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन उपरांत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय द्वारा योग्य एजेंसियों को एक निश्चित समय, तिथि और स्थान पर समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा।

4.4 दोनों श्रेणियों के लिए एजेंसियों का मूल्यांकन अनुलग्नक-III एवं IV के आधार पर एक स्पेशल समिति/ स्कीम दिशानिर्देश के अंतर्गत समिति द्वारा मानदंडों/पैरामीटर के आधार पर किया जाएगा।

4.5 प्रत्येक श्रेणी के लिए उच्चतम 05 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एजेंसियों को 03 वर्ष की अवधि के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय की सूची में सम्मिलित की जाएंगी। इसे बीओसी और एनएफडीसी द्वारा पैनल सूचीबद्ध सत्यापन होने पर, संयुक्त सचिव (विस्तार) की मंजूरी से 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

5. बयाना राशि/कार्य निष्पादन सुरक्षा जमाः बोलीदाता को श्रेणी 'क' के लिए ₹ 25000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) और श्रेणी 'ख' के लिए ₹ 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 06 महीने तक वैध हो या 40 महीने की वैधता सहित बैंक गारंटी 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, पूसा, नई दिल्ली-110012' के पक्ष में देय बयाना राशि के रूप में जमा कराना होगा। प्रतिधारक की अवधि में उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ब्याज गारंटी का प्रारूप अनुबंध-vi पर देखा जा सकता है। मूल ईएमडी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पूर्व संयुक्त निदेशक (मास मीडिया), कक्ष संख्या-101, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। भेजे जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी का विवरण ऑनलाइन निविदा जमा करने के समय दर्ज किया गया डाटा (स्कैन की गई कॉपी) मे उपलब्ध डाटा एकसमान (मैच) होना चाहिए, अन्यथा, अपलोड की गई निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। ईएमडी के बिना निविदा को स्वकृत नहीं किया जायेगा व् अयोग्य करार कर दिया जायेगा। असफल आवेदकों की ईएमडी सूचीबद्धता प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की बैंक गारंटी के रूप में ईएमडी कार्य के प्रदर्शन सुरक्षा हेतु रखा जाएगा। यदि बोलीदाता ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट जमा करता है और उसे सूची में सम्मिलित किया जाता है तब इस मामले में दोनों श्रेणियों के लिए क्रमशः ₹ 25000/- और ₹ 15000/- सूची में सम्मिलित किए जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा की बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामले में बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही ईएमडी वापस की जाएगी। ईएमडी/कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर ली जाएगी।

(क) यदि प्रस्ताव वैधता अवधि के दौरान वापस ले लिया जाता है या प्रस्ताव वैधता अवधि के दौरान प्रस्ताव को खोलने या उसके बाद विविध या संशोधित किसी भी तरह से नियोक्ता को स्वीकार्य नहीं है और यदि एजेंसी मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करती है।

(ख) सुरक्षा जमा राशि दिए गए कार्यों की सफल समाप्ति के बाद और अनुबंध के अंतर्गत समायोजित/प्राप्ति करने के बाद ही वापस किया जाएगा।

(ग) यदि एजेंसी का प्रदर्शन किसी भी डिलिवरेबल्स के कार्यकाल में संतोषजनक नहीं है या यदि कार्य औसत दर्जे का और लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, तो कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा का एक हिस्सा या पूरा मूल्य काटा जा सकता है।

6. भुगतान की शर्तः कार्य के सभी प्रकार से संतोषजनक समापन के बाद ई-भुगतान के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य समझौता/निविदा के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल होने के मामले में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय वास्तविक स्थिति के आधार पर भुगतान राशि को कम कर सकता है।

7. शास्ति खंड

   i. यदि कार्य के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित समस्याएं पाई जाती हैं, तो कुल कार्य का 5% से 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है जुर्माने की राशि विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी।

(क) सुपुर्दगी की गुणवत्ता उचित न पाया जाना (जब तक गुणवत्ता में सुधार आवश्यक सीमा तक न हो)

(ख) सुपुर्दगी में देरी होना।

(ग) समय पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न करा पाना।

(घ) आवश्यक होने पर भी संसाधनों को समर्पित न करना।

(ङ) ऐसे संसाधन उपलब्ध कराना जो अनुमोदित समय अनुसूचित या सुपुर्दगी की गुणवत्ता के अनुसार ग्राहक की आवश्यकता को पूरा नहीं करते।

ii. 5 सप्ताह से अधिक का विलंब होने पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग अनुबंध को रद्द कर सकता है और कार्य नियुक्त एजेंसी के जोखिम और लागत पर अन्य एजेंसी से कराने के लिए स्वतंत्र होगा। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एजेंसी/एजेंसियों को भविष्य में पैनल सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करने से रोक लगा सकता है।

8. सामान्य निर्देश (दोनों श्रेणियों के लिए लागू)

i. एजेंसियां समय-समय पर बीओसी (पूर्व डीएवीपी) और एनएफडीसी द्वारा सरकार के मंत्रालयों की सेवा के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगी।

ii. मूल टेंडर दस्तावेज के हर पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा होना चाहिए, जोकि नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

iii. आवेदन केवल ऑनलाइन ई-टेंडरिंग खरीद पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकताएं और प्रक्रिया उक्त वेबसाइट पर 'ऑनलाइन आवेदन जमा करने के निर्देश' के अंतर्गत विस्तार से बताई गई है आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पूर्व विवरण अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि आवेदन गलत/दोषपूर्ण ऑनलाइन जमा करने के कारण आवेदन अस्वीकृति के लिए न तो विभाग और न ही एनआईसी जिम्मेदार होगा।

v. अलग-अलग आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों सहित जमा किया जाना चाहिए।

vi. किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

vii. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां केवल सीसीपी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

viii. कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व विभाग किसी भी समय बिना कोई कारण बताए एजेंसियों की पैनल सूचीबद्धता को रद्द कर सकता है।

ix. उपरोक्त श्रेणियों में पैनल सूचीबद्धता हेतु आवेदन करने के लिए सभी मानदंड आवश्यक है कोई भी निर्माता/क्रिएटिव एजेंसी जो उपरोक्त उल्लिखित मानदंडों में से किसी को पूरा नहीं करती है या आवश्यक, वैध और प्रमाणित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण के बिना प्राप्त आवेदनों को बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

x. बोली के मूल्यांकन के दौरान कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय अपने विवेक के अनुसार बोली लगाने वाले से उसकी बोली के स्पष्टीकरण के बारे में पूछ सकता है। स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध लिखित रूप से देना होगा।

xi. किसी भी एजेंसी को एक से अधिक नाम या सहायक फर्म/सहयोगी कंपनी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन समिति लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर सूचीबद्ध उत्पादकों को निलंबित कर सकती है।

xii. किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण तथ्य तोड़-मरोड़कर पेश की गयी निविदा अयोग्य कर दी जाएगी।

xiii. किसी भी रूप से सिफारिश की जाने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

xiv. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय को एक या कई सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से पूर्ण या आंशिक कार्य को पुरस्कृत करने और बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है।

xv. निविदा दस्तावेज पूर्ण होने के बावजूद, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय के पास किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने बोली प्रक्रिया को रद्द करने या वापस लेने या निविदा जोड़ने का अधिकार है, किसी भी समय पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी समय बिना किसी जिम्मेदारी/दायित्व के या इस प्रकार की स्वीकृति के लिए कोई भी दायित्व, स्वीकृति या विलोपन, बिना कोई कारण बताए सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

xvi. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि किसी भी समय किसी सामग्री को गलत व्याख्या दी जाती है या उसे उजागर किया जाता है तो यह आवेदन की अयोग्यता घोषित करेगा और भविष्य में उसके खिलाफ कानूनी सहारा लिया जाएगा।

xvii. सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी। एजेंसी कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय/कृषि भवन से सामान/सामग्री प्राप्त करेगी और उसे कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय/कृषि भवन के पते पर पहुंचाना सुनिश्चित करेगी।

xviii. निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा न हो पाने का कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि किसी क्षेत्र में एजेंसी द्वारा किया गया कार्य घटिया ठीक प्रकार से नहीं किया गया है तो कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय को किसी अन्य एजेंसी से एजेंसी के जोखिम और लागत पर कार्य पूर्ण कराने का पूरा अधिकार होगा और किए गए व्यय की भरपाई एजेंसी के बिल से पूरी की जाएगी और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने पर भी विचार किया जा सकता है। समय अनुसूची और गुणवत्ता को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप निष्पादन प्राधिकारी के विवेक के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।

xix. एजेंसियों के परिणामी सामाज्यकरण की व्याख्या कानूनों के अंतर्गत की जाएगी और इससे होने वाले सभी विवादों का निपटारा दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया जाएगा।

xx. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार/निदेशालय के पास सूचीबद्धता अवधि के दौरान किसी भी समय सूचीबद्ध एजेंसी के परिसर की वास्तविक रूप से जांच करने का अधिकार है। असंतोषजनक पाए जाने पर सूचीबद्धता / समझौता रद्द किया जा सकता है।

xxi. शूटिंग पूरी होने के बाद निर्माता अपनी लागत पर निर्धारित तिथि और समय पर रफ-कट स्थिति में फिल्म के पूर्वावलोकन की व्यवस्था करेगा।

xxii. निर्माता को ऑडियो व वीडियो प्रोडक्शन के डिलीबीरेबल्स, बीओसी की गाइलाइंस के अनुसार या अन्य फॉर्मेट जैसा कि हार्डडिस्क/पेन ड्राइव या जो भी फॉर्मेट समयानुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल योग्य को प्रस्तुत करना होगा।

xxiii. इन प्रावधानों के अंतर्गत जहां भी फिल्म का निर्माण होता है, फिल्म के सभी कॉपीराइट जिनमें प्रसारण/प्रसारण अधिकार और नए मीडिया अधिकार शामिल हैं, यदि कोई हो, तो विभाग के पास शेष रहेंगे।

xxiv. सौंपे गए कार्यों को संतोषजनक प्रकार से पूरा करने के बाद ही एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।

xxv. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय तकनीकी अवधारणाओं/स्क्रिप्ट के अनुमोदन के उपरांत एजेंसी को कार्य आदेश जारी करेगा। विभिन्न स्वरूपों के आवश्यक प्रतियों की संख्या (बीटा कैम एसपी, डीवीसी प्रो, डीवीडी और सीडी आदि) जिसमें भाषा, डब किए गए संस्करण शामिल हैं, को स्पष्ट रूप से क्रमवार उल्लिखित करना होगा।

xxvi. निर्माता या उसका/उसके प्रतिनिधि को अपनी लागत पर समिति के समक्ष प्रस्तुति देना आवश्यक होगा।

xxvii. किसी भी दस्तावेज के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे गैर-जिम्मेदाराना माना जाएगा।

xxviii. सभी प्रकार से संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद ही भुगतान जारी किया जाएगा। एजेंसी को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

xxix. इस सूचीबद्धता का किसी भी तरह से यह मतलब नहीं होगा कि यह विभाग किसी भी रिटेनरशिप शुल्क या मासिक परामर्श शुल्क या किसी अन्य प्रकार का पारिश्रमिक एजेंसियों को पारिश्रमिक का भुगतान करेगा।

xxx. भारत सरकार पूर्ण कॉपीराइट और ऐसे सभी संबंधित अधिकारों को बरकरार रखेगी।

xxxi. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग / विस्तार निदेशालय की सूचीबद्धता इस बात की गारंटी नहीं है कि एजेंसी को काम जरूर दिया / उपलब्ध कराया जाएगा।

xxxii. पृष्ठभूमि सामग्री कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय के संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

xxxiii. काम पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एजेंसी दिए गए समय के अंदर अंतिम पूर्वावलोकन और अनुमोदन के लिए अंतिम संस्करण प्रस्तुत करेगी।

xxxiv. एजेंसी निर्धारित समय-सीमा में विशेषज्ञता और व्यावसायिक दक्षता की अपेक्षित कार्य के साथ करेगी।

9. विवाद समाधानः

यदि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय और एजेंसी के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उठता है या बोलियों या लॉजिस्टिक्स के निष्पादन के संबंध में, चाहे वह घटना के निष्पादन के दौरान हो या उसके पूर्ण होने के बाद या पहले या प्रतिवाद के दौरान समझौते की समाप्ति, कोई भी निर्णय, राय, सहमति के रूप में किसी भी विवाद सहित संतुष्टि की अभिव्यक्ति, अनुमोदन, मूल्य, क्रिया या कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय के निर्देश के निर्धारण, विवाद में बात, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय को लिखित रूप से संदर्भित किया जाएगा। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय एजेंसी को शीघ्रातिशीघ्र अपने कार्य की सूचना देगा। सभी अधिकार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय के पास सुरक्षित हैं।

10. अप्रत्याशित घटनाः

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय इस दस्तावेज में निर्दिष्ट के अनुसार, स्वास्थ्य और वितरण आवश्यकताओं को शिथिल करने पर विचार कर सकता है, यह इस सीमा तक होगा कि प्रदर्शन में देरी या अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को निभाने में अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना का परिणाम है। अप्रत्याशित घटना को इस घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उचित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जैसे ईश्वरीय आपदा (जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि) राज्यों के कार्य, युद्धों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम (घोषित किया अघोषित), शत्रुतापूर्ण, राष्ट्रीय आपात स्थिति और नागरिक हंगामा आदि।

नोटः- इंग्लिश आर.एफ.पी. को किसी भी प्रकार के संदर्भ में बतौर अंतिम माना जाए।

<u>प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पत्र</u>

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (मास मीडिया)
कक्ष संख्या - 101
विस्तार निदेशालय, कृषि विस्तार सदन,
पूसा, नई दिल्ली -110012

श्रीमान,

मैं/हम, आपके दिनाँक .... के प्रस्ताव के अनुरोध के अनुसार .... के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को समझ लिया हैं। मैं/हम एतद द्वारा श्रेणी............................ में सूचीबद्ध होने के लिए अपना तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

मैं/हम अपना प्रस्ताव निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं :

मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस प्रस्ताव में दी गई सभी जानकारी और कथन सत्य है और मैं/हम स्वीकार करते हैं कि इसमें निहित कोई भी गलत व्याख्या हमारी अयोग्यता का कारण बन सकती है। मैं/हम यह भी मानते हैं कि मेरी/हमारी फर्म/एजेंसी को अनुबंध की अवधि के बीच में ब्लेक लिस्ट/समाप्त नहीं किया गया है या किसी भी मुकदमेबाजी किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य सरकार के लिए किसी भी कारण से लंबित है । मैं/हमने आरएफपी/बीओसी और एनएफडीसी समादेश में निहित नियमों, शर्तों और अन्य प्रावधानों को पूरी तरह से समझ लिया है। मैं/हम जानते हैं कि आप किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि-

i. मैं (कार्यकारी निर्माता/मालिक का नाम) एत्द द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मुझे/मेरी एजेंसी को 'क' एव 'ख' प्रोडक्शन/क्रिएटिव डिजाइन के क्षेत्र में ...... वर्ष का अनुभव है।
ii. मैं प्रमाणित करता हूं कि हमने पिछले 03 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में कुल............. (संख्या) का उत्पादन/ क्रिएटिव डिजाइन किया है।
iii. मैं उपरोक्त तथ्यों का पता लगाने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय को अपने कार्यालय और संबंधित संरचना का निरीक्षण करने की अनुमति देता हूं।
iv. मैं या मेरे अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय द्वारा आवश्यक है, तो समिति के समक्ष समय-समय पर अपनी लागत के अनुसार प्रस्तुतीकरण देंगे और मैं सूचिबद्धता के संबंध में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय के निर्णय का पालन करूंगा।
v. मैं/हम पूर्ण रूप से पुष्टि करते हैं कि ऊपर वर्णित तथ्य सही हैं और हमने कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि ऊपर दी गई कोई भी सूचना, झूठी या मनगढ़ंत पाई जाती है, तो मुझे निलंबित और सूची से हटाया जा सकता है।

पूरा नाम और पदनाम...
पता ....
फोन और मोबाइल सं..
ईमेल का पता ....
दिनांक: .... स्थान...

<u>अनुलग्नक- I</u>

....श्रेणी के लिए एजेंसी को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन प्रारूप

क्र.सं.	विवरण	हाँ/नहीं	दस्तावेजों का संदर्भ पृष्ठ सं.
1.	एजेंसी का वास्तविक पता (दिल्ली एनसीआर)		
2.	संपर्क सं. और ई-मेल का पता और वेबसाइट (यदि कोई हो)		
3.	बीओसी / एनएफडीसी (दोनों) के साथ सूचीबद्धता का प्रमाण		
4.	एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण		
5.	जीएसटी / सेवा कर पंजीकरण		
6.	ईएमडी / बैंक गारंटी का विवरण		
7.	पिछले 03 वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान आईटीआर का विवरण		
8.	पिछले 03 वर्षों के दौरान अनुबंध- II में सारांश शीट के साथ अनुमोदित ए एंड वी प्रोडक्शंस / क्रिएटिव डिज़ाइन (सामान्य और कृषि क्षेत्र) के कार्य क्रम की प्रतियां।		
9.	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों यानी 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (संचयी) के वार्षिक कारोबार का प्रमाण		
10.	प्रामाणिक जानकारी के लिए गैर-न्यायिक स्टाम्प पर वचनबंध		
11.	रचनात्मक टीम के प्रमुख की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण		
12.	टीम के सदस्यों का बायोडाटा / सीवी		
13.	क्या आपके पास दिल्ली में या दिल्ली के बाहर बताए गए उपरोक्त कार्यालय के अलावा शाखा कार्यालय/कार्यालय हैं? (यदि हां, तो विवरण दें)		
14.	कार्यकारी निर्माता / प्रबंध निदेशक का नाम और संपर्क विवरण		
15.	क्या आपका अपना स्टूडियो / कार्यालय है? (यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें कि वह वीडियो स्टूडियो है या ऑडियो स्टूडियो)		
16.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय के साथ पूर्व की सूचीबद्धता के प्रमाण, यदि कोई हो।		
17.	सरकारी संगठन / विभाग / मंत्रालय द्वारा प्राप्त पुरस्कार, यदि कोई हो		
18.	अवसंरचना का विवरण		
19.	बैंक विवरण		

पूरा नाम और पदनाम ....

पता ....

....

फ़ोन और मोबाइल सं.

....

ईमेल का पता ....

दिनांक:...............................स्थान ....

अनुलग्नक- II

पिछले 3 वर्षों के दौरान ऑडियो/वीडियो/डॉक्यूमेंट्री/जिंगल्स रचनात्मक डिजाइन पर किए गए कार्यों की सारांश सीट निम्नलिखित प्रारूप में संबंधित कार्य आदेशों के साथ संलग्न की जाए

क्र.सं.	कार्य विवरण	एजेंसी / संगठन / मंत्रालय का नाम / विभाग	वर्ष	कार्य का मूल्य (रु.)	संलग्न कार्य आदेश (हां/नहीं)	कृषि से संबंधित है अथवा नहीं (हां/नहीं)

(प्रोडक्शन हाउस के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुलग्नक- III

ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति के लिए एजेंसियों के मूल्यांकन के मानदंड

क्र.सं.	मापदंड	एम एम: 100
क	तकनीकी विवरण / दस्तावेज	7 0
i)	मास मीडिया और संचार / या संबंधित में रचनात्मक टीम के प्रमुख की योग्यता	**10**
	विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर	10
	उपाधि	0 7
	प्रमाणपत्र	0 4
ii)	एजेंसी के ऑडियो और वीडियो उत्पादन के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव	**1 5**
	3-4 वर्ष	0 5
	5-7 वर्ष	10
	8-10 वर्ष	12
	10 वर्ष से अधिक	1 5
iii)	पिछले 03 वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान की गयी ऑडियो और वीडियो प्रस्तुतियों की संख्या	**1 5**
	30-40	10
	40-50	12
	50 से अधिक	1 5
iv)	पिछले 03 वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ओयजित कार्यक्रमों की संख्या	**10**
	5-8	0 3
	9-12	05
	13-16	07
	16 से अधिक	10
v)	क्या एजेंसी पहले कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय में सूचीबद्ध थी।	**05**
vi)	सरकारी संगठन / विभाग / मंत्रालय द्वारा दिया गया कोई पुरस्कार	05
vii)	पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) की आय (केवल उत्पादन लागत से संचयी कारोबार)	**10**
	1.50-3.00 करोड़ रुपये	05
	3.01- 5.00 करोड़ रुपये	07
	5.00 करोड़ रुपये से अधिक	10
ख	तकनीकी प्रस्तुति (टी आर का वचनबंध संबंधित कार्य अनुभव, पहले के कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी जनशक्ति, बुनियादी ढाँचा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान)।	**30**
	कुल अंक (क + ख)	**100**

अनुबंध- IV

क्रिएटिव के उत्पादन के लिए एजेंसियों के सूचीबद्धता के मानदंड

क्र. सं.	पैरामीटर/मापदंड	एम एम: 100
क	एजेंसी का अनुभव, कारोबार और प्रोफाइल	**7 0**
i	*एजेंसी के क्रिएटिव के उत्पादन क्षेत्र में वर्षों का अनुभव*	**15**
	3-4 वर्ष	3
	5-7 वर्ष	5
	7-10 वर्ष	10
	10 वर्ष से अधिक	15
ii	*कारोबार*	**20**
	प्रतिवर्ष 5-10 लाख	10
	प्रतिवर्ष 10 .01 -15 लाख	15
	प्रतिवर्ष 15 लाख से अधिक	20
iii	*स्वीकृत क्रिएटिव डिजाइनों की संख्या*	**10**
	प्रति वर्ष 10-15 से अधिक	5
	प्रति वर्ष 16 से अधिक	10
iv	*कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्वीकृत क्रिएटिव डिजाइनों की संख्या*	**1 5**
	प्रति वर्ष 10-15 से अधिक	10
	प्रति वर्ष 16 से अधिक	15
v	क्या एजेंसी पहले कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय में सूचीबद्ध हैं।	**05**
vi	सरकारी संगठन / विभाग / मंत्रालय द्वारा दिया गया कोई पुरस्कार	**05**
ख	तकनीकी प्रस्तुति (टी.ओ.आर का वचनबंध संबंधित कार्य अनुभव, पहले के कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी जनशक्ति, बुनियादी ढाँचा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान)। (ये रचनात्मक डिजाइन का आकलन करने के लिए गज की दूरी पर हैं - सौन्दर्य दृष्टि, सामग्री और आकर्षक स्लोगन, नवाचार, रंग योजना और दिये गए कार्य को पूरा करने के लिए रणनीति सहित संकल्पना)	30
	कुल योग	**100**

अनुलग्नक- V

ई भुगतान विवरण

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	लाभार्थी का नाम	
2	खाते का प्रकार	
3	बैंक खाता नम्बर	
4	बैंक का नाम और पता	
5	एसटीडी कोड सहित बैंक का टेलीफोन / फैक्स नंबर	
6	बैंक शाखा का एमआईसीआर कोड	
7	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	
8	फर्म का ई-मेल पता	

मैं / हम पुष्टि करते हैं कि मैं / हम अपने / हमारे खाते में इनईएफटी खातों के क्रेडिट के लिए मेरे / हमारे बैंक द्वारा लगाए गए परिवर्तन को वहन करेंगे।

धन्यवाद,

कृते________________

____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हम यह पुष्टि करते हैं कि हमें एनईएफटी / आरटीजीएस क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार है और हम इस खाता सं.. (फर्म का नाम) की भी पुष्टि करते हैं। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और ऊपर उल्लिखित हमारी शाखा का एमआईसीआर एवं आईएफएससी कोड सही है।

बैंक का सत्यापन

(प्रबंधक / अधिकारी का हस्ताक्षर)

बैंक की मोहर सहित

अनुबंध- VI

प्रारूप

बैंक गारंटी

संयुक्त निदेशक (मास मीडिया)
कक्ष सं. 101
विस्तार निदेशालय, कृषि विस्तार सदन,
पूसा, नई दिल्ली -110012

प्रतिभूति पत्र संख्या ....

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जिसका कार्यालय विस्तार निदेशालय, कृषि विस्तार भवन, पूसा, नई दिल्ली-110012 में स्थित है, जिसे यहाँ "कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय" कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति जब तक विषय-वस्तु/अर्थ में असंगत न हो इसमें इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल हैं) और जिसने मैसर्स.. (जिसे इसमें अभिकरण (एजेंसी) कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति जब तक विषय वस्तु/अर्थ से असंगत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल हैं) पर विचार करते हुए करार/स्वीकृति पत्र संख्या...पर हस्ताक्षर किया है।

जबकि अभिकरण ने दिनाँक ....के करार/स्वीकृति पत्र संख्या.. में दी गई निबंधन और शर्तों के अनुसार स्पष्ट रूप से कार्य का निष्पादन करना स्वीकार किया है और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय सहमत होते हुए कि अभिकरण स्वीकृति पत्र के मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) अर्थात .... तक/का संपूर्ण संविदा के निष्ठापूर्वक कार्य के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/विस्तार निदेशालय को एक निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा/देगा।

हम, ______________ ("बैंक") जिसमें हमारे उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे, स्वीकृति पत्र की नियम और शर्तों के अनुसार _________________________ (एजेंसी) के खाते में प्रतिभूति सं. ___________ के पक्ष में आपके पक्ष में एक अपरिवर्तनीय पत्र स्थापित करते हैं। ।

इसके द्वारा, हम आपकी पहली लिखित मांग के साथ रसीद पर _____ (जैसे _______केवल) से अधिक का भुगतान करने का वचन देते हैं, यह घोषणा करते हैं कि आपके द्वारा दावा की गई राशि परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा समझौते को पूरा करने में विफल होने के कारण है। उपर्युक्त भाग पर किसी भी प्रतियोगिता के बावजूद एक नाम दिया गया ।
इस प्रकार, हम आपकी पहली लिखित मांग के साथ रसीद पर ____ (जैसे ___ only) से अधिक का भुगतान करने का वचन देते हैं, यह घोषणा करते हुए कि आपके द्वारा दावा की गई राशि परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा समझौते को पूरा करने में विफल होने के कारण है। यह उपरोक्त नामित एजेंसी की ओर से किसी भी प्रतिवाद के बावजूद है।

यह प्रतिभूति वैधता की तिथि तक लागू रहेगी और इस संबंध में कोई भी मांग निर्दिष्ट तारीख/तिथियों के बाद बैंक में नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। हालाँकि, इस गारंटी के विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, यदि कोई बैंक इस प्रदर्शन प्रतिभूति की समय सीमा समाप्त होने से 15 दिन पूर्व तक हाल ही में जारी प्रदर्शन बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता है, तो मंत्रालय या तो प्रतिभूति को रद्द कर सकता है या बैंक से बैंक प्रतिभूति की वैधता बढ़ाने के लिए कह सकता है। बाद की स्थिति में, बैंक विस्तार के इस तरह के अनुरोध का अनुपालन करेगा।

____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
प्रबंधक

बैंक की मुहर